राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] सोलहवीं विधान सभा के पहले सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 03

शुक्रवार,

19 जनवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.25 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

संसदीय कार्य विभाग

...ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना...जिनके समक्ष...विधान सभा सदस्य शपथ...या प्रतिज्ञान कर सकेंगे...

श्री अध्यक्ष: प्रमुख सचिव।

प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा: राज्यपाल महोदय के आदेश की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक: प.1(1)संसद/2023 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 निम्न प्रकार है :-

"दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के आदेश, जिसके द्वारा श्री कालीचरण

(प्रमुख सचिव)

सराफ को और दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के आदेश, जिसके द्वारा श्री दयाराम परमार, श्री प्रताप सिंह सिंघवी और श्री किरोड़ी लाल को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए, मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

1. राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष,
2. राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष, और
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) के अनुसार राजस्थान विधान सभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये सक्षम व्यक्तियों को, इसके द्वारा उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

कलराज मिश्र,

राज्यपाल, राजस्थान।"

मैं इस अधिसूचना को सदन की मेज पर रखता हूं।

महावीर प्रसाद शर्मा

प्रमुख सचिव

सभापति तालिका

अर्जुन लाल जीनगर, राजेन्द्र पारीक, फूल सिंह मीणा व संदीप शर्मा, सर्वश्री, का सभापति तालिका हेतु मनोनयन

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :-

1. श्री अर्जुन लाल जीनगर
2. श्री राजेन्द्र पारीक
3. श्री फूल सिंह मीणा
4. श्री संदीप शर्मा

(श्री अध्यक्ष)

घोषणा

इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रतिपक्ष दल एवं श्री टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री टीकाराम जूली को विधायक दल का नेता चुना गया है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है। आपको बधाई।

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश।

संदेश

राज्यपाल महोदय से व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

''यतः। मैंने व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) के प्रावधानों को देखा, जो कि 04 मार्च, 2022 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है और 14 मार्च, 2022 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

''व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 के द्वारा राजस्थान राज्य में व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित कर प्रस्तुत किया गया है।

"निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय-समय पर राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन वर्णित प्रावधानों के तहत व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना के संबंध में निम्न कमियां पायी गयी हैं:-

1. राज्य सरकार के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26.07.2007, 21.01.2011, 30.07.2012 एवं 01.02.2013 तथा समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु पृथक से तीस एकड़ परस्पर मिली हुई संपरिवर्तित भूमि पर दस हजार वर्ग मीटर का भवन निर्माण होना आवश्यक है जिसका उपभोग सिर्फ प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु किया जाना होता है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है जो कि दिशा-निर्देशानुसार नहीं है।

2. दिशा-निर्देशानुसार पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवन के अलावा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु पृथक् से 30 एकड़ संपरिवर्तित भूमि एवं नवीन दस हजार वर्गमीटर निर्माण होना चाहिए, परन्तु संस्था के पास राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित भूमि एवं भूमि का संपरिवर्तन तथा एकल पट्टा उपलब्ध नहीं है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि एक जगह होकर उसका एकल पट्टा होना चाहिए, जबकि संस्था द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि के विभिन्न पट्टों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जिनमें परीक्षण समिति व सत्यापन समिति के सत्यापन के समय भूमि का उपयोग अस्पताल कार्य हेतु दर्शाया गया था, तत्पश्चात् उपयोग शैक्षणिक दर्शाया गया है, जिसके लिए संस्था व परीक्षण तथा सत्यापन समिति संयुक्त रूप से दोषी है।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आबंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर संस्था का स्वामित्व दर्शाया गया है जिसका संपरिवर्तन नहीं करवाया गया है, जिसके लिए परीक्षण व सत्यापन समिति तथा संस्था संयुक्त रूप से दोषी है।

5. संस्था को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि के

(श्री अध्यक्ष)

अतिरिक्त स्वामित्व की भूमि की किस्म आज भी ऑनलाइन बारानी दिखाई जा रही है।

6. संस्था की दोनों भूमियों के बीच में कितनी दूरी है, उसके बारे में स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही सक्षम स्तर का साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है।

7. प्रस्तावित विश्वविद्यालय नगरीय सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है, उसका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 26.07.2007 की शर्त संख्या 9 के 1 (a, b,c) के अनुसार संस्था की दूरी का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप भी एण्डोमेंट फण्ड की राशि रुपये एक करोड़ ही संस्था द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। संस्था द्वारा दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण व प्रशासनिक विभाग की इस संबंध में अनदेखी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होना प्रतीत होता है, जो कि जांच का विषय है।

8. संस्था द्वारा किसी भी एक निकाय से लिया गया एकल पट्टे का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

9. संस्था द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवनों को ही दिखाया गया है, जबकि पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक-पृथक भूमि/भवन होना आवश्यक है, परन्तु इस संबंध में संस्था से प्राप्त कोई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाये गये हैं। इसके उपरान्त भी समितियों ने आक्षेप नहीं लगाया है, जो कि गहन जांच का विषय है।

10. समस्त भूमि का एकल पट्टा नहीं लेने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

11. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रस्तावित भवन का सक्षम स्तर से अनुमोदित नक्शा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

12. संस्था द्वारा भूमि के प्रत्येक खसरे पर निर्मित भवन के संबंध में कोई जानकारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

13. संस्था के अधीन वर्तमान में कोई भी डिग्री/पी.जी. कालेज संचालित नहीं है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों

(श्री अध्यक्ष)

पर पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है, जो कि दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

14. उक्त कमियों के उपरान्त भी परीक्षण समिति व सत्यापन समिति ने किस आधार पर निर्मित क्षेत्र का सत्यापन किया गया है तथा किस आधार पर संस्था को विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है? जबकि संस्था द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति तथा भूमि व संपरिवर्तन के स्पष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, जिसके लिए परीक्षण एवं सत्यापन समिति तथा संस्था सामूहिक रूप से दोषी है।

15. संस्था द्वारा अनेक शैक्षणिक संस्थान अपने अधीन संचालित होना बताया गया है परन्तु यह अवगत नहीं करवाया गया कि उक्त संस्थान कहां संचालित हैं।

16. पत्रावली के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि संस्था का परीक्षण समिति एवं सत्यापन समिति द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् भी काफी कमियां पायी गईं यथाः- भूमि की उपलब्धता, भूमि का संपरिवर्तन, भवन का अनुमोदित नक्शा, भूमि का एकल पट्टा, भूमि का एकजाई नक्शा, खसरेवार भवन निर्माण के साक्ष्य का अभाव, प्रस्तावित विश्वविद्यालय की नगरीय सीमा से दूरी के प्रमाण का अभाव आदि।

"उक्त विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक व विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाने के उपरान्त राजस्थान विधान सभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन भिजवाया गया है। अतः उक्त कमियों की संभागीय, राजस्व अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर विस्तृत जांच/न्यायिक जांच करवायी जावे।

"इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता हूं।"

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा एक सन्देश आया है, दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में है।

राज्यपाल महोदय से सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

"यतः। मैंने सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) के प्रावधानों को देखा, जो कि 22 मार्च, 2022 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है और 08 अप्रैल, 2022 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

"सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली विधेयक, 2022 के द्वारा राजस्थान राज्य में सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित कर प्रस्तुत किया गया है।

"निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन वर्णित प्रावधानों के तहत सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली की स्थापना के संबंध में निम्न कमियां पायी गयी हैं :-

1. राज्य सरकार के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26.07.2007, 21.01.2011, 30.07.2012 एवं 01.02.2013 तथा समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु पृथक् से तीस एकड़ परस्पर मिली हुई संपरिवर्तित भूमि पर दस हजार वर्ग मीटर का भवन निर्माण होना आवश्यक है जिसका उपभोग सिर्फ प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु किया जाना होता है, परन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संस्था के पास उक्तानुसार निर्धारित भूमि एवं भवन का संपरिवर्तन तथा भूमि का एकल पट्टा उपलब्ध नहीं है, जबकि संस्था द्वारा विभिन्न टुकड़ों में भूमि उपलब्ध होना अवगत कराया गया है, जिसका परीक्षण व सत्यापन समितियों द्वारा सत्यापन किया

(श्री अध्यक्ष)

गया है, जो विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

2. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार परीक्षण समिति व सत्यापन समिति के सत्यापन के समय भूमि का उपयोग शैक्षणिक व संस्थानिक नहीं था। उसके उपरान्त भी उक्त समितियों द्वारा संस्था को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उपयुक्त दर्शाया गया है, वह स्वीकार्य नहीं है। जिसके लिए परीक्षण व सत्यापन समिति तथा संस्था तीनों ही संयुक्त रूप से दोषी है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

3. पत्रावली के अनुसार संस्था के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग आज दिनांक में भी व्यावसायिक, आवासीय, बारानी, शैक्षणिक, संस्थानिक व चाही-1 एवं चाही-2 दर्ज है, जिसके लिए संस्था पर कार्यवाही अपेक्षित है।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सत्यापन समिति ने अपने पत्र क्रमांक 78 दिनांक 26.10.2020 द्वारा संस्थान की भूमि को परस्पर मिली हुई दर्शाया गया है जबकि तहसीलदार हिण्डौन सिटी ने अपने पत्र क्रमांक 2083 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा दोनों भूमियों/भूखण्डों के मध्य की दूरी तीन सौ मीटर दर्शायी गयी है, जिसके लिए सत्यापन समिति व संस्था दोषी है।

5. पत्रावली के अनुसार संस्था द्वारा विभिन्न टुकड़ों में दर्शायी गयी भूमि का संपरिवर्तन, परीक्षण व सत्यापन समिति के निरीक्षण से पूर्व नहीं करवाया गया है।

6. राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्था के पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक्-पृथक् भूमि/भवन होना आवश्यक है, परन्तु इस संबंध में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

7. प्रस्तावित विश्वविद्यालय नगरीय सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है, उसका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 26.07.2007 की शर्त संख्या 9 के 1 (a, b,c) के अनुसार संस्था की दूरी का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप भी एण्डोमेंट फण्ड की राशि रुपये एक करोड़ ही संस्था द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है, जो कि दिशा-निर्देशानुसार उचित नहीं है। संस्था द्वारा दूरी का

(श्री अध्यक्ष)

प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण व प्रशासनिक विभाग की इस संबंध में अनदेखी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होना प्रतीत होता है, जो कि जांच का विषय है।

8. संस्था द्वारा समस्त भूमि का एकल पट्टा नहीं लेने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

9. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भूमि के संपरिवर्तन से संबंधित तहसीलदार, हिण्डौन सिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पत्र क्रमांक 326 दिनांक 12.03.2020 जो भूमि की दूरी से संबंधित है, संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसकी जांच करवाई जानी अपेक्षित है।

10. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन सिटी के पत्र क्रमांक 372 दिनांक 18.03.2010 में वर्णित तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है यथा- "अतः उक्त संपरिवर्तन आदेश में पैरा नं. 4 में संपरिवर्तन प्रयोजन का में व्यावसायिक (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) पढ़ा जावे। उक्त संशोधित आदेश की जांच करवाई जानी आवश्यक है।

11. संस्था द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए भवन का सक्षम स्तर से अनुमोदित नक्शा एवं भूमि के प्रत्येक खसरे पर निर्मित भवन के संबंध में कोई भी जानकारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

12. पत्रावली के अनुसार संस्था द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

13. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संस्था के पास वर्तमान में कोई भी डिग्री/पी.जी. कालेज संचालित नहीं है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा विभिन्न जिलों व अन्य स्थानों पर पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए।

14. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संस्था के परीक्षण व सत्यापन हेतु दोनों बार एक ही व्यक्ति के संयोजकत्व में समितियों का गठन किया गया है। संस्था हेतु गठित परीक्षण व सत्यापन समिति में दोनों बार एक ही सदस्य का भी मनोनयन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है?" उक्त

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

"उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक व विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाने के उपरान्त राजस्थान विधान सभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन भिजवाया गया है। अतः उक्त कमियों की संभागीय, राजस्व अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर विस्तृत जांच/न्यायिक जांच करवायी जावे।

"इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता हूं।"

शपथ अथवा प्रतिज्ञान। प्रमुख सचिव।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4
	(माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान से क्रमवार)		
197	श्री जगत सिंह (नदबई)	शपथ	हिन्दी
198	श्री महेन्द्र जीत सिंह मालविया (बागीदोरा)	शपथ	हिन्दी
199	श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर)	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

(प्रमुख सचिव)

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

1. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशयल साइंसेज विधेयक, 2023

2. राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023

3. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023

4. राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023

5. राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2023

6. राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

7. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023

8. राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

9. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023

10. कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

11. उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

12. मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

13. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

14. राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

15. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023

16. गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023

17. राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023

18. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023

19. राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023

20. महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। श्री गजेन्द्र सिंह जी।

अध्यादेश

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(2023 का अध्यादेश संख्यांक-1)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश संख्यांक-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री जोगेश्वर गर्ग, सरकारी मुख्य सचेतक।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 01)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 जनवरी, 2024 को प्रात: 10.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक 20 जनवरी से मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाये :-

शनिवार, दिनांक 20 जनवरी 2024 से सोमवार, दिनांक 22 जनवरी 2024 तक	बैठक नहीं होगी।
मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2024	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
बुधवार, दिनांक 24 जनवरी 2024	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2024 से रविवार, दिनांक 28 जनवरी 2024 तक	बैठक नहीं होगी।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सोमवार, दिनांक 29 जनवरी 2024	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धाजंलि

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री नवरंग लाल टिबरेवाल; इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राम सिंह यादव; पूर्व राज्य मंत्री श्री गुरमीत सिंह कुन्नर एवं श्रीमती शशी दत्त और इस सदन के पूर्व सदस्य श्री कैलाश चन्द भंसाली तथा श्री रामराय शर्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

नवरंग लाल टिबरेवाल, श्री, पूर्व राज्यपाल

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री नवरंग लाल टिबरेवाल का जन्म 17 जनवरी, 1937 को झुन्झुनूं में हुआ। आपने बी.कॉम तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री नवरंग लाल टिबरेवाल वर्ष 1978 से 1986 तक स्टेट बार काउंसिल के सदस्य रहे तथा अध्यक्ष भी रहे। आप मार्च, 1998 में राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक अधिकारी बने तथा इसी वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। आपके पास 24 मई, 1998 से 15 जनवरी, 1999 तक राजस्थान के राज्यपाल का कार्यभार भी रहा।

(श्री अध्यक्ष)

श्री नवरंग लाल टिबरेवाल का दिनांक 8 जनवरी, 2024 को निधन हो गया।

राम सिंह यादव, श्री, पूर्व उपाध्यक्ष एवं सांसद

इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राम सिंह यादव का जन्म 30 जुलाई, 1928 को अलवर जिले के कोशलपुर ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री राम सिंह यादव पांचवीं राजस्थान विधान सभा में मुण्डावर से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप मार्च, 1972 से अप्रैल, 1977 तक राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। आपने विधान सभा में स्वस्थ संसदीय परम्पराएं स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री यादव सातवीं तथा आठवीं लोक सभा में अलवर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। आप विधान सभा की प्रेस गैलरी एडवाइजरी कमेटी तथा विधान सभा साज सज्जा समिति के सभापति रहे। आप विधान सभा सदस्य क्लब के वाइस प्रेसीडेण्ट भी रहे। आपने वर्ष 1974 में 20वें राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सम्मेलन में राजस्थान शाखा का प्रतिनिधित्व किया।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री यादव पंचायत समिति किशनगढ़बास के प्रधान रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री यादव संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन, नई दिल्ली के सदस्य रहे। कृषकों की स्थिति सुधारने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे श्री यादव कृषि उपज मण्डी, खैरथल के उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष रहे। आप केन्द्रीय सहकारी बैंक अलवर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री राम सिंह यादव का दिनांक 7 अगस्त, 2023 को निधन हो गया।

गुरमीत सिंह कुन्नर, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री गुरमीत सिंह कुन्नर का जन्म 6 जून, 1948 को गंगानगर जिले के ग्राम चक 25 बी.बी. में हुआ। आपने हायर सैकण्डरी तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा में करणपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप तेरहवीं

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा में निर्दलीय तथा ग्यारहवीं एवं पन्द्रहवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, गृह समिति तथा जन लेखा समिति के सदस्य रहे। आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे। श्री कुन्नर फरवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक राज्य सरकार में कृषि विपणन विभाग, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागों सहित कई विभागों के राज्य मंत्री रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत 23 बी.बी. बैरां के सरपंच, पंचायत समिति पदमपुर के प्रधान तथा गंगानगर जिला परिषद् के उप जिला प्रमुख एवं जिला प्रमुख रहे। आप क्रय-विक्रय समिति, पदमपुर के अध्यक्ष भी रहे। शिक्षा प्रसार के लिये प्रयत्नशील रहे श्री कुन्नर विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर का दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को निधन हो गया।

(समय : 13.00 बजे)

शशी दत्त, श्रीमती, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक श्रीमती शशी दत्त का जन्म 8 फरवरी, 1957 को हरियाणा के रोहतक में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती शशी दत्त दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए टीब्बी विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुईं। विधान सभा कार्यकाल के दौरान आप विधान सभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सदस्य रहीं। आप दिसम्बर, 1993 से जनवरी, 1997 तक राजस्थान सरकार में विधि विभाग (स्वतंत्र प्रभार) एवं राजकीय उपक्रम विभाग की राज्य मंत्री भी रहीं।

समाज सेवा में रुचि रखने वाली श्रीमती शशी दत्त विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं। श्रीमती शशी दत्त का दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

कैलाश चन्द भंसाली, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री कैलाश चन्द भंसाली का जन्म 18 फरवरी, 1941 को जोधपुर में हुआ। आपने बी.कॉम, एलएल.बी तथा सी.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री कैलाश चन्द भंसाली तेरहवीं तथा चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति तथा जन लेखा समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की सिंडीकेट सहित अन्य समितियों के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री भंसाली आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति, जोधपुर तथा सीमा जन कल्याण समिति, राजस्थान के अध्यक्ष रहे। आप अखिल भारतीय भंसाली समाज के महासचिव सहित अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े ट्रस्टों से भी सम्बद्ध रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध रहे श्री भंसाली भारतीय जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। लेखन में रुचि रखने वाले श्री भंसाली के सामयिक विषयों पर लिखे आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वर्ष 1992 में प्राकृतिक आपदा में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिये माननीय राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया गया।

श्री कैलाश चन्द भंसाली का दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को निधन हो गया।

रामराय शर्मा, डा., पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य डा. रामराय शर्मा का जन्म 25 जुलाई, 1942 को दौसा जिले के भण्डाना ग्राम में हुआ। आपने सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्राप्त की।

डा. रामराय शर्मा दसवीं राजस्थान विधान सभा में जमवारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति के सदस्य रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले डा. शर्मा ने चिकित्सक के रूप में मरीजों के कल्याण के कार्य किये। आप लम्बी अवधि तक अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के मानद अध्यक्ष रहे। आप लायन्स क्लब के विभिन्न पदों पर भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे डा. शर्मा भारतीय जनता पार्टी, दौसा के जिला महामंत्री भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

डा. रामराय शर्मा का दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी, 2024 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सबको धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13:04 बजे, मंगलवार दिनांक 23 जनवरी 2024 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में हुए राज्य की सोलहवीं विधान सभा के चुनाव निर्विघ्न स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए। मैं प्रदेश की जनता को इस चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान एवं प्रचण्ड बहुमत के साथ जनादेश देने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं।

1. मैं समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय सदस्य राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को विधान सभा में प्रभावी ढंग से रख कर, प्रदेश के सर्वांगीण एवं चहुंमुखी विकास में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

2. मैं समस्त माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं तथा सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

3. राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन परम्परा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय-समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का सन्देश देते रहे हैं। इस बार भी राजस्थान की अवाम ने 75.45 प्रतिशत रिकार्ड मतदान कर एक अनूठा कीर्तिमान रचा जो परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का अनुपम कार्य है।

4. प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अन्तर्विरोधों एवं अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई, फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी।

5. दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर्विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही, लेकिन

अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नये राजस्थान का निर्माण करेगी अपितु विकसित राजस्थान व विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा।

6. राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा लिए गए इस विवेकपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं।

7. परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा एवं नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में हुआ परिवर्तन, राजस्थान को अस्थिरता और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर ले जाकर विकसित, शिक्षित व खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेगा।

8. चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किये गये वादे वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र का अहम हिस्सा हैं। इसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब खुशहाली, समृद्धि और मजबूती के साथ आपणो अग्रणी राजस्थान का संकल्प जमीन पर साकार होगा।

9. इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजातशत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. श्री भैरोंसिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालान्तर में अलग-अलग रूप में देशभर के प्रदेशों में लागू की गई।

10. माननीय भैरोंसिंह जी के गरीब कल्याण के मौलिक विचारों को देखते हुए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने इसीलिए भैरोंसिंह जी को भारत के रॉकफेलर की संज्ञा दी थी।

11. यह वर्ष देश के पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। अटल जी ने देश में न

केवल सुशासन की नींव रखी अपितु सड़क जोड़ो और नदी जोड़ो जैसी विशाल संकल्पनाओं को मूर्त रूप देकर भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी किया। हमारी सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री भैरोंसिंह शेखावत के पदचिन्हों पर चलते हुए इनके विचारों के प्रति कटिबद्ध रहते हुए लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय को साकार करेगी।

12. हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जायेगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल के आखिरी समय में, बिना बजटीय प्रावधानों के, आनन-फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जायेगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छान-बीन के उपरान्त ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर, ठोस एवं व्यावहारिक नये रूप में, जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जायेगा। इससे लोकतंत्र का असली उद्देश्य-जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवाकार्य सुनिश्चित हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण !

13. विगत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों, अदूरदर्शी निर्णयों तथा आर्थिक कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान पुनः बीमारू और सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य की श्रेणी में आ गया है।

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को राज्य पर रुपये 3 लाख 11 हजार 3 सौ 74 करोड़ का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार रुपये 40 हजार 300 था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को राज्य पर रुपये 5 लाख 79 हजार 7 सौ 81 करोड़ का ऋण भार अनुमानित है तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर रुपये 70 हजार 800 होना अनुमानित है।

15. विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जायेगी जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

16. विगत 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आमजन किसान विद्युत कटौती का लगातार दंश झेलने को मजबूर रहे। आमजन में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ होती रही।

17. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की प्रदेश के डिस्कॉम को आर्थिक सम्बलता देने के लिए शुरू की गई उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 62 हजार 400 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से गत कांग्रेस राज के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण फिर से बढ़कर 88 हजार 700 करोड़ रुपये के पार कर गया है।

18. किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जाने के टर्नकी प्रोजेक्ट, विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला धुलाई और निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से महंगी दरों पर बिजली खरीद में गत सरकार के कार्यकाल में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा।

19. विगत सरकार के बढ़े हुए टी एंड डी लॉस को नियंत्रित करके तथा गैर जीवाश्म स्रोत वाली अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। गत सरकार द्वारा घाटे में धकेले गये डिस्कॉम्स के आर्थिक हालात को विशेषज्ञों के परामर्श तथा कुशल प्रबंधन द्वारा सुधार कर नागरिकों, उद्योगों एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

20. हमारी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया

जायेगा। गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है, जो आपणो अग्रणी राजस्थान में उल्लिखित संकल्प पत्र में भी झलकता है। हमारी सरकार का हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी मुख्य ध्येय रहेगा।

21. हमारी सरकार जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर जनता दरबार के माध्यम से प्रभावी जन सुनवाई सुनिश्चित की जायेगी और आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्रशासन की पहली इकाई पर ही किया जायेगा।

22. हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इन्दिरा रसोई के स्थान पर अब श्रीअन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्रीअन्नपूर्णा रसोई में अब मिलेट (श्रीअन्न) को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्रीअन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई-बहिनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल पायेगा।

23. मुझे यह बताते हुए अत्यन्त खुशी है कि हमारी सरकार ने गरीब वर्ग की माताओं-बहनों के प्रति अपने संकल्प को पूरा करते हुए 01 जनवरी, 2024 से मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा को मूर्त रूप दे दिया है। हमारी सरकार महिलाओं को सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तीकरण के लिए कटिबद्ध है।

24. राजस्थान की जी डी पी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर अब 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष

करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा सम्बल होगा।

25. गेहूं उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों की फसल का सही दाम सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की एम.एस.पी. के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की योजना बनायेगी।

26. भारत विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा यानी मिलेट (श्रीअन्न) उत्पादन करने वाला देश है। इसमें भी राजस्थान देश में सिरमौर है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट (श्रीअन्न) वर्ष घोषित किया गया है। इस मिलेट-क्रांति के फलस्वरूप अब हमारे ज्वार-बाजरे को देश दुनिया में सबसे लोकप्रिय खाद्यान्न के रूप में पहचाना जाने लगा है।

27. गत सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी को लेकर बड़े-बड़े दावे किये गये। कल्ला कमेटी बनाई गई, कृषकों की ऋणमाफी हेतु वन टाइम सैटलमेंट करने की बात कही गई, लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए किसानों की कर्जमाफी के स्थान पर 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क की गईं। अत्यन्त दुःख का विषय है कि विगत सरकार की इस दोषपूर्ण कृषक नीति के कारण हमारे कई किसान भाई आत्महत्या करने तक को मजबूर हुए। किसान भाइयों के हितों की रक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं, उनको बिना विलम्ब किये उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा देने के लिए व्यावहारिक मुआवजा नीति निर्धारित की जायेगी।

28. किसान भाइयों को खाद-बीज से लेकर बाजार तक किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रदेश में सुगम व्यवस्था तैयार की जाएगी। उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

29. पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता और 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना

(ईआरसीपी) की डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन इस पर गत सरकार ने ठोस कार्य करने की बजाय इस परियोजना पर केवल राजनीति करने का काम किया। गत कांग्रेस सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 170 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) को वर्ष 2051 तक पूरा करने की बात कही गई थी, जो इस बात का द्योतक है कि सरकार 28 वर्षों तक इस योजना को लटकाना, भटकाना चाहती थी। इतने लंबे अरसे में तो दो-दो पीढ़ियां तक बदल जाती हैं।

30. हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर त्वरित गति से किया जायेगा। अब राजस्थान व मध्यप्रदेश, दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ईआरसीपी के संबंध में एमओयू कर परियोजना को शीघ्र-अतिशीघ्र मूर्त रूप दिया जाना आसान होगा।

माननीय सदस्यगण !

31. विगत सरकार के समूचे कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभावान युवाओं का भविष्य अंधकारमय बन गया। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि भर्ती परीक्षाओं में दिन-प्रतिदिन पेपर लीक होते रहे एवं पारदर्शिता समाप्त हो गयी। पेपर लीक घोटालों के मुख्य सरगनाओं को गत सरकार पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं में निराशा, असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त रहा।

32. हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एस आई टी का गठन कर दिया है। साथ ही अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डी जी पी लेवल के अधिकारियों से करवाने तथा नकल माफियाओं के खिलाफ केस आफिसर स्कीम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार और माफिया राज का अंत करने के लिए संकल्पशील है।

33. प्रदेश के युवाओं में हताशा और अवसाद के कारण आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय हैं। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से उनको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाने एवं

उनकी ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

34. हमारी सरकार प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को पूर्णतः आश्वस्त करती है कि प्रदेश में अब न तो नौकरियों की लूट होगी और न ही पेपर लीक होगा। विद्यार्थियों को केजी से पीजी यानी प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की गारंटी सरकार के संकल्प पत्र में निहित है, जिसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा।

35. भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस शांतिप्रिय प्रदेश में कानून का शासन सुनिश्चित करने में यह सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस क्रम में सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही अहम निर्णय लेते हुए एक्शन मोड पर कार्य शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप करीब 10 हजार अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही की गई है।

36. पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण विगत 5 वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। विभिन्न विभागों में यथा-जल जीवन मिशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सोना एवं नकदी की बरामदगी, बायोफ्यूल प्राधिकरण जैसे हर विभाग में भ्रष्टाचार को शह मिली। प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन उस पर अंकुश लगाने की बजाय राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार की सीबीआई को अनुसंधान की सामान्य स्वीकृति न देने जैसे अनुचित निर्णय किये। जिससे विदित है कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने की कोई मंशा नहीं थी। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। एसीबी की जांच में सजा योग्य पाए गए प्रकरणों में भी पूर्ववर्ती सरकार ने न तो कोई ठोस कार्यवाही की और न ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की।

37. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति से निर्णय लेते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई द्वारा अनुसंधान की शक्तियां बहाल कर दी हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए आगे भी ठोस एवं कड़े निर्णय लिए जाएंगे।

38. राजस्थान में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रदेश में परिशांति कायम करने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु कवायद शुरू कर दी गई है।

39. राजस्थान में गत सरकार में महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के मामले बड़े पैमाने पर सामने आए, जिससे राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में देशभर में पहले पायदान पर रहा। फलस्वरूप वीरों और विभूतियों की यह गौरव भूमि बार-बार कलंकित एवं शर्मसार हुई। हमारी मुख्य प्राथमिकता मातृशक्ति को समुचित सुरक्षा देकर प्रदेश का ऐतिहासिक मान-सम्मान और गौरव पुनः लौटाना है।

40. राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन को पूरी मजबूती और मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किये जाएंगे।

41. हमारी सरकार घुमन्तु समुदाय के आवश्यक दस्तावेज जैसे-वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि बनाने के लिये शिविर लगायेगी। उक्त समुदाय के परिवारों के लिये आवासीय पट्टे, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी।

42. हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सभी सरकारी पदों को प्राथमिकता से भरेगी। हम केन्द्र सरकार के साथ मिलकर नमस्ते योजना के अन्तर्गत सभी मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए मजदूरों के पुनः रोजगार के लिये प्रशिक्षण अथवा स्वरोजगार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

माननीय सदस्यगण !

43. मैं इस अवसर पर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सबको साथ लेकर विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा तथा

उनका मान-सम्मान बनाये रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रदेश में सबको साथ लेकर गांधी जी के राम राज्य और सुराज की संकल्पना को मूर्तरूप देगी। प्रदेश में कानून के शासन और सुशासन को मजबूती के साथ स्थापित किया जायेगा।

44. विगत कांग्रेस सरकार ने अपने बजट भाषण वर्ष 2019-20 के पैरा 79 में अक्टूबर, 2022 तक बाड़मेर रिफाइनरी को पूरा करने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य है कि गत सरकार की लेटलतीफी एवं इच्छाशक्ति के अभाव के कारण आज तक रिफाइनरी मूर्त रूप लेकर प्रारम्भ नहीं हो पाई है तथा इस मूल परियोजना की लागत 37 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर अब 75 हजार करोड़ रुपये को पार कर गई है।

45. हमारी सरकार विशेषज्ञों की मदद से बाड़मेर रिफाइनरी के पूरे प्रोजेक्ट की नई सिरे से समीक्षा कर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर करीब 72 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर, बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी लाएगी।

46. राजस्थान में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसम्बर, 2023 से शुरू होकर 26 जनवरी, 2024 तक पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक राज्य में हजारों कैम्प आयोजित हो चुके हैं जहां पर विभिन्न शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को केन्द्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर और वंचित पात्रताधारी लोगों का हाथों-हाथ पंजीकरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

47. मेरा सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रीय प्रयास है, किसी राजनीतिक दल का कार्य नहीं, यह एक पवित्र कर्तव्य है। इसमें विकसित राष्ट्र निर्माण के वृहद् उद्देश्य के साथ विकसित राजस्थान के ध्येय को सामने रखकर सभी प्रदेशवासियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

48. केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना संचालित की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य ही रहा कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों, घटिया

सामग्रियों और टेलरमेड टेंडरों के माध्यम से गत सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल सका। इस महत्वाकांक्षी योजना की रैंकिंग में राजस्थान देश में सबसे निचले यानी 33वें पायदान पर पहुंच गया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर जहां एक ओर प्रदेश की जनता को योजना का लाभ दिलवाया जायेगा, वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन योजना में गत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और शिकायतों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

49. मरुप्रदेश राजस्थान में देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का केवल एक प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बोर्ड गठित करेगी तथा अन्य जल प्रदाय योजनाओं के कार्य को भी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी।

माननीय सदस्यगण !

50. गत सरकार द्वारा बिना कार्ययोजना और बिना पर्याप्त बजट के प्रदेश में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं कई मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा तो कर दी गई परन्तु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता व आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण इनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाई। अधिकांश महाविद्यालय और विद्यालय या तो कागजों पर या किराये की बिल्डिंग में ही संचालित रहे। निजी विश्वविद्यालय खोलने की होड़ ने प्रदेश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा दिया। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि इसी सदन में पूर्ववर्ती सरकार को मंत्रिमंडल से अनुमोदित निजी गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर का प्रस्तुत विधेयक वापस लेना पड़ा।

51. गत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मात्र साइन बोर्ड बदलकर कथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूप में प्रारम्भ करने का कार्य किया गया। इन विद्यालयों में न तो अंग्रेजी माध्यम प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित किये गये और न विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण किया गया और न ही आवश्यक बजटीय प्रावधान किये गये। प्रदेश में इस अव्यावहारिक निर्णय का आम जनता, शिक्षकों और शिक्षाविदों की

ओर से व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ। इतना सब होने पर भी सरकार विद्यार्थियों को अधरझूल में छोड़कर अनिर्णय की स्थिति में बनी रही। हमारी सरकार इन विद्यालयों की समीक्षा कर विद्यार्थी हित सर्वोपरि रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेगी।

52. राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है तथा दूध उत्पादन में राजस्थान देश में अव्वल है। गत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा संचालित पशु बीमा योजना को बंद कर दिया था जिसे लंपी वायरस के प्रकोप के बाद मजबूरीवश अंतिम वर्ष में आधे अधूरे ढंग से लागू किया। फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में पशु बीमा योजना का लाभ पशुपालकों को नहीं मिल सका। सरकार लंपी महामारी के दौरान पशु चिकित्सा प्रबंधन में पूर्णतया विफल रही तथा काल कवलित पशुधन के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दे पाई।

53. गत सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की गई थी। दुर्भाग्य से यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं हो सकी जो इस बात का प्रमाण है कि गौधन की सार-संभाल के प्रति भी सरकार निष्क्रिय और असंवेदनशील रही। हमारी सरकार गौमाता के संरक्षण और संवर्धन हेतु नई नीति बनायेगी।

54. हर सिर पर छत हो, इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा सभी को आवास (हाउसिंग फोर आल) सुनिश्चित करने हेतु देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। दुर्भाग्य है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रताधारी लाभार्थियों के आवेदन भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं होने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गये थे।

55. हमारी सरकार जहां इन वंचित लाभार्थियों को उनका हक दिलवाएगी, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा कर बनते घर-पूरे होते सपनों को साकार करेगी। हम पीएम आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे तथा वह समाज में गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन का हक प्राप्त कर सके।

56. हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम राजस्थान में मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन है कि "हम भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को निरंतर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्यान नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर है।"

57. गत सरकार द्वारा 'राइट टू हेल्थ' के नाम पर फौरी तौर पर मात्र औपचारिकता की गई जिसका चिकित्सकों और निजी अस्पतालों द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। अब हमारी सरकार "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः" के ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। चिकित्सकों और निजी अस्पतालों को विश्वास में लेकर सही मायने में प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी।

58. गत सरकार द्वारा केन्द्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार "सभी को स्वास्थ्य सेवाएं" सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब चिरंजीवी योजना की समीक्षा करेगी और आयुष्मान योजना को जन केन्द्रित बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।

59. केन्द्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र योजना के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आरोग्य मंदिर जन स्वास्थ्य की धुरी के रूप में कार्य करते हुए रोग उपचारात्मक सेवाओं के साथ प्रिवेंटिव एवं प्रमोटिव हेल्थ सर्विस भी उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आमजन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो। यहां आमजन को बारह प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ योगा एवं वैलनेस गतिविधियों का संचालन करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

60. माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशभर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि

केन्द्र की स्थापना की अनूठी पहल की है। प्रदेश में भी ऐसे 350 नये जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, ताकि नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिल सकें।

61. हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखकर प्रतिवर्ष हर ब्लॉक में दो स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का संकल्प लिया है। इन मेलों में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जागरूक किया जायेगा।

62. राजस्थान प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण मेडिकल टूरिज्म की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी सरकार प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर 2 मेडिसिटी स्थापित करेगी। भारत सरकार के हील इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर राजस्थान में हील इन राजस्थान कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

63. हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कालेज, वन डिस्ट्रिक्ट-वन नर्सिंग कालेज, वन डिस्ट्रिक्ट-वन डायलिसिस केन्द्र एवं वन ब्लॉक-वन डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।

माननीय सदस्यगण !

64. हमारी सरकार लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के मूलमंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया है। हमारे संकल्प पत्र में खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, आरोग्य प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून-व्यवस्था, गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग तथा सुदृढ़ आधारभूत संरचना के लिए प्रतिबद्धता दर्शायी गई है। आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की इन प्राथमिकताओं को अक्षरशः धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

65. जन आस्था से जुड़े पर्वतों पर हो रहा अवैध खनन हमारे लिए चिंता का विषय है। इससे जहां एक ओर कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है, वहीं आमजन में रोष है। अवैध खनन से पर्यावरण को खतरा होने से पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता

है। हमारी सरकार अरावली, आदिबद्री एवं कनकांचल सहित प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को सख्ती से रोकेगी।

66. राज्य में बढ़ता प्रदूषण हम सबके लिए गहन चिंता का कारण है। राजस्थान ग्रीन वार रूम की स्थापना कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्थक प्रयास किये जाएंगे।

67. माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि देश के सभी शहर स्मार्ट सिटी बनें। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं कोटा को केन्द्र की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत चयनित कर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी क्रम में नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत योजना) का शुभारम्भ किया, लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार इस परियोजना के प्रति उदासीन रही। फलस्वरूप आमजन को केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। हमारी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का विस्तार कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है।

68. सड़क मार्ग के साथ-साथ सुरक्षित रेलमार्गों के विकास और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनों के संचालन की दिशा में भी केन्द्र सरकार ने दूरदर्शी विजन के साथ काम किया है। वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा इलेक्ट्रिक हाईवे के संचालन से लंबी दूरी का सफर अब कम समय में सुगमतापूर्वक तय होने जा रहा है। राजस्थान को भी विगत दिनों में वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है।

69. हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उन्हें आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बेहतर माहौल देने के लिए नीतिगत फैसले लेगी। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मान-सम्मान बढ़े और उन्हें सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले।

70. भारत ने हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक के सबसे अधिक 107 पदक जीते हैं। राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने भी मैडल जीतकर प्रदेश का गौरव

बढ़ाया है। इसी प्रकार की खेल प्रतिभाओं को ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए विशेष रूप से कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

71. हमारी सरकार द्वारा प्रदेशभर में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना की है। यह सुखद संयोग है कि इस बार सदन में अनेक नये युवा सदस्य चुनकर आये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर युवा विधायकों का आह्वान करता हूं कि प्रदेश की युवा शक्ति को नशे से दूर रखने की दिशा में आप अपने-अपने क्षेत्रों में नशा मुक्त राजस्थान अभियान को सशक्त करें।

माननीय सदस्यगण !

72. राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना का विकास हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। नये निवेश को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादों के सुगम एवं त्वरित आवागमन के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं नये एक्सप्रेस वे तथा रेल कॉरिडोर के निकट इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी।

73. जेम्स, ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट और वस्त्र आदि के निर्यात में राजस्थान की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान है। हमारी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन विकसित करेगी। नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पालिसी तैयार की जाएगी एवं ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार एम एस एम ई सेक्टर में रोजगार की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा।

74. सर्विस डिलीवरी सिस्टम, विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रोजमर्रा की जरूरतों में सूचना प्रौद्योगिकी का

उपयोग विगत वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार प्रदेश में ई-गवर्नेंस एवं एम-गवर्नेंस के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग कर सुशासन में तकनीक के उपयोग को विस्तार दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं मशीन लर्निंग आधारित तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा एवं साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

75. श्रमिकों की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले, इसके लिए श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से श्रम कल्याण की दिशा में संकल्पशील रहेगी।

76. पर्यटन क्षेत्र में विकास की राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भक्ति, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की धरा राजस्थान के कण-कण में ऐसी गाथाएं रची-बसी हैं, जो देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां के मेले, तीज-त्योहार, लोक संस्कृति, किले, महल, बावड़ी और पुरासम्पदा विश्व भर में विख्यात हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार पर्यटन विकास के लिए विशेष कार्ययोजना बनाएगी।

77. राजस्थानी व्यंजनों का जायका देश-दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पर्यटकों में भी इन व्यंजनों के प्रति खासा चाव है। इसे ध्यान में रखते हुए वार्षिक राजस्थानी अंतरराष्ट्रीय फूड उत्सव आयोजित किये जाएंगे जिसमें श्रीअन्न को प्राथमिकता दी जायेगी। इन उत्सवों के माध्यम से श्रीअन्न निर्मित विभिन्न राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू सुदूर देशों तक पहुंचेगी।

78. हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की सोच है कि राज्यों के विकास के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। इसी अवधारणा को केन्द्र में रखकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से राज्यों में विकास की नई बुनियाद रखी, ताकि राज्यों का सतत, निर्बाध और समावेशी विकास सुनिश्चित हो।

79. नई सरकार की नीति और नीयत एकदम साफ है। हम विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

80. हम बेहतर तरीके से कुशल एवं स्मार्ट सुशासन, नैतिक मूल्य व्यवस्था, गांधी जी का राम राज्य एवं सुराज, विधि का शासन, समावेशी एवं सतत विकास, प्रशासन में जवाबदेही, प्रभावशील दक्षता एवं पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे।

81. इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगेः-

1. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय सदस्यगण !

82. भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परम्परा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, संस्कार की एक सरिता है। राजस्थान प्रदेश भी अपनी परम्परा और विरासत के लिए विश्वविख्यात है। इस धरोहर को सहेजकर हम आस्था और संस्कृति के संरक्षण के साथ विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेंगे।

83. सर्व लोकहितकारी राष्ट्र राज्य का जो स्वरूप आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) ने अर्थशास्त्र में दिया है उस पर चलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चाणक्य ने कहा है कि-

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा के अपने प्रिय (स्वार्थ) में राजा का हित नहीं है, प्रजा के प्रिय में ही उसका हित है।

वन्दे मातरम् - जय हिन्द। जय भारत।